

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 2010/आरएस (जी)/363/1

नई दिल्ली, दिनांक: 5.07.2012

महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, पूर्वोत्तर सीमा (निर्माण) सहित ।

महाप्रबंधक, कोर, इलाहाबाद ।

महाप्रबंधक, मेट्रो रेलवे, कोलकाता ।

महानिदेशक, अ.अ.मा.स. लखनऊ एवं रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा ।

मु.प्र.अ./कारखाना परियोजना संगठन, पहला तल, चेम्बर भवन, जे.सी. रोड, पटना-800 001.

मु.प्र.अ./डीजल आधुनिकीकरण कारखाना, पटियाला एवं कॉफमो, नई दिल्ली ।

मु.प्र.अ./आरसीएफ/आरबीएल, ओल्ड टीए बिल्डिंग, किशनगंज, दिल्ली ।

प्रबंध निदेशक/रेलवे के सभी पीएसयू, केआरसीएल, एमआरवीसी ।

मु.प्र.अ./रेल मंत्रालय के अंतर्गत सभी स्वायत्तशासी संगठन ।

**विषय: केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) द्वारा उत्पादित वस्तुओं और प्रदान की गई सेवाओं के लिए सार्वजनिक प्रापण नीति ।**

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम 2006 की धारा 11 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार के आदेश के तहत अपने मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित तथा प्रदान की गई/गए माल और सेवाओं की खरीद संबंधी सार्वजनिक प्रापण नीति अधिसूचित की गई है। भारत के राजपत्र में दिनांक 23.03.2012 को मुद्रित अधिसूचना सं. 503 की प्रति मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए संलग्न है।

1.1 सार्वजनिक प्रापण नीति में प्रतिस्पर्धा के प्रमुख सिद्धांतों का पालन किया जाता है जिसमें स्पष्ट, समान, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और लागत प्रभावी प्रणाली के अनुसार वस्तुओं अथवा सेवाओं की सफ़ाई के लिए ठोस प्रापण कार्यपद्धतियों और आदेशों का अनुपालन किया जाता है।

1.2 इस नीति में एमएसई के लिए कतिपय लाभ/अधिमान्य ट्रीटमेंट प्रदान करने और उपयुक्त वेन्डरों के विकास के लिए प्रयास करने तथा सरकारी प्रापणों में उनकी भागीदारी को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। इन लाभों और अधिमान्य ट्रीटमेंट स्वयं प्राप्त करने के उद्देश्य से एमएसई को निम्नलिखित में से किसी एक के पास पंजीकृत होना चाहिए:

- (i) जिला औद्योगिक केन्द्र
- (ii) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग
- (iii) खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
- (iv) कॉयर बोर्ड
- (v) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम
- (vi) हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय
- (vii) एमएसएमई मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य निकाय

2. एमएसई में सार्वजनिक प्रापण नीति के अनुसरण में यह विनिश्चय किया गया है कि:-
- (i) निविदा की जाने वाली मद के लिए उक्त एजेंसियों के साथ पंजीकृत एमएसई को निविदा सैट निःशुल्क मुहैया कराए जाएंगे।
  - (ii) उक्त एजेंसियों के पास पंजीकृत एमएसई को निविदा की जाने वाली मद के लिए अग्रिम धन के भुगतान से मुक्त रखा जाए।
  - (iii) निविदाओं में, भाग लेने वाले एमएसई, जिन्होंने एल 1 + 15% के प्राइज़ बैंड की सीमा के भीतर ही कीमत का उल्लेख किया होगा, को अपनी कीमत को एल 1 प्राइज़ तक कम करने पर ही मांग के एक हिस्से की सप्लाय की अनुमति मिलेगी, जहां एल 1 प्राइज़ किसी अन्य एमएसई से अलग होगा और ऐसे एमएसई कुल निविदा कीमत के 20% तक मिलकर आदेश दे सकते हैं।
  - (iv) प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय अथवा विभाग अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वित्तीय वर्ष 2012-13 से और उसके आगे से सूक्ष्म एवं लघु उद्योग द्वारा निर्मित उत्पादों की तीन वर्ष की अवधि में कुल वार्षिक खरीद और प्रदान की गई सेवाओं के न्यूनतम 20% के कुल प्रापण को प्राप्त किए जाने के उद्देश्य से प्रापण के वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करेंगे। तीन वर्ष की अवधि अर्थात् 1.4.2015 के बाद न्यूनतम 20% का समग्र प्रापण लक्ष्य अनिवार्य होगा। प्रापण के वार्षिक लक्ष्य में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के सब-कांटेक्ट और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा गठित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संघ शामिल हैं। वस्तुओं और सेवाओं के प्रापण के 20% में से 20% (अर्थात् कुल 4%) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) उद्यमों के स्वामित्व वाले एमएसई से होंगे। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अथवा निविदा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और एल 1 कीमत में इन एमएसई के असफल रहने की स्थिति में एससी/एसटी उद्यमों के स्वामित्व वाले एमएसई से निर्धारित प्रापण के 4% के उप लक्ष्य को अन्य एमएसई से पूरा किया जाएगा।
  - (v) मंत्रालय अथवा विभाग अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से 358 मदों (अधिसूचना के साथ संलग्न परिशिष्ट) का प्रापण जारी रखेंगे, जिन्हें केवल उन्हीं से खरीदे जाने के लिए ही आरक्षित किया गया है।

2.1 20% लक्ष्य की तुलना में कुल उपलब्धियों की गणना करते समय एमएसई से निम्नलिखित द्वारा किए गए प्रापण और सब-कांटेक्ट को भी गणना में शामिल किया जाएगा:-

- (क) रेल इकाइयों के बड़े पैमाने के वेन्डर और
- (ख) एमएआईसी द्वारा गठित एमएसई के संघ (रेल इकाइयों में वेन्डर के रूप में)

3. अहंक एमएसई को लाभ/अधिमान्य ट्रीटमेंट देने के उद्देश्य से बोली दस्तावेज में उपयुक्त शर्तों को शामिल किया जाए जिन्हें नीचे दर्शाया गया है:-

- (क) “उक्त पैरा 2(i) से 2(iii) तक”
- (ख) (I) वे एमएसई जो इन लाभों को स्वयं प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन्हें एमएसएमई मंत्रालय द्वारा अधिसूचना में उल्लिखित एजेंसियों में से किसी एक के साथ एमएसई के रूप में पंजीकृत होने का साक्ष्य आमंत्रण के साथ प्रस्तुत करना होगा:-
  - (i) जिला औद्योगिक केन्द्र
  - (ii) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग

- (iii) खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
- (iv) कॉयर बोर्ड
- (v) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम
- (vi) हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय
- (vii) एमएसएमई मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य निकाय

(II) एमएसई अपने पंजीकरण की वैधता समाप्त होने की तारीख का भी उल्लेख करेंगे।

उपर्युक्त (I) और (II) के पूरा न होने की स्थिति में ऐसे प्रस्ताव दिनांक 23.03.2012 की भारत सरकार की एमएसई की अधिसूचना में दिए गए लाभों पर विचार किए जाने के दायी नहीं होंगे”।

4. इसके अलावा, एमएसई नीति द्वारा यथा वांछित अपेक्षित सूचना का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए सभी वेंडर अनुमोदन करने वाली/पंजीकरण करने वाली इकाइयों को उनके द्वारा अनुमोदित/पंजीकृत वेंडरों से निम्नलिखित सूचना तत्काल मांगने के लिए और उनके डाटा बेस में समावेश किए जाने के लिए निर्देश दिया जाता है:-

(क) वेंडरों की श्रेणी जो नीचे दी गई है:-

- (i) सूक्ष्म उद्यम
- (ii) लघु उद्यम

(ख) उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणियों को निम्नलिखित श्रेणियों में भी उप-वर्गीकृत किया जाए:-

- (i) अनुसूचित जाति के स्वामित्व वाले उद्यम
- (ii) अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले उद्यम
- (iii) उपर्युक्त दो श्रेणियों के अलावा अन्य के स्वामित्व वाले उद्यम

(ग) किसी वेंडर को सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम के रूप में वर्गीकृत होने के लिए उस वेंडर को पैरा 1.2 में दर्शाई गई किसी एक एजेन्सी के पास पंजीकरण का एक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा और पंजीकरण की वैधता समाप्त होने की तिथि का भी उल्लेख करना होगा।

5. रेलें, प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में वार्षिक आंकड़ों सहित एमएसई से प्रापण के आंकड़े प्राप्त करके (एससी/एसटी के स्वामित्व वाली एमएसई से प्रापण की कीमत को पृथक रूप से दर्शाया जाए) इसे रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत करेंगी। एमएससी से प्रापण की कीमत में एमएसई से प्राप्त प्रत्यक्ष खरीद और बड़े पैमाने के वेंडरों/एमएसई के संघ द्वारा दिए गए सब-कंट्रैक्ट को उनके एमएसई सब-कंट्रैक्टर शामिल हैं (जैसा कि उपर्युक्त पैरा 2.1 में दर्शाया गया है)।

6. इससे मूल्य अधिमन्य की मौजूदा नीति और लघु उद्योगों को दिए जा रहे लाभों का अधिक्रमण हो जाता है जिसका अभी तक अनुपालन किया जा रहा था।

इसे रेलवे बोर्ड के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

कृपया पावती दें।

सन्तोष मिश्र  
(संतोष मिश्र)

उप निदेशक रेलवे भंडार (जी)-I  
रेलवे बोर्ड